राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.5 (215+216)निपेवि / नियम / 2015 / पार्ट–I(विविध) दिनांकः–

कोषाधिकारी (समस्त)
कोष कार्यालय
....

विषयः– जीवन कालीन पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं पेंशन रूपान्तरण की बकाया राशि का भुगतान करने बाबत्।

संदर्भः– वित (नियम अनुभाग) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15 (2)एफ.डी / रूल्स / 1997 दिनांक 04.10.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अधिसूचना के बिन्दु संख्या 04 में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 145 (1) में संशोधन पेंशनर के जीवनकालीन बकाया को सुगमतापूर्वक भुगतान करने के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन यह ध्यान में आया है कि कुछ कोषालयों द्वारा पुराने नियमानुसार / प्रक्रियानुसार विभिन्न अनावश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु कहा जाता है। इसलिये कोष कार्यालयों को जीवन कालीन बकाया राशि के भुगतान के सुगमतापूर्वक निस्तारण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. मृतक पेंशनर की बकाया पेंशन राशि का भुगतान पेंशनर द्वारा पेंशन कुलक में भरे गये नोमिनेशन फार्म "क" अथवा "ख" के अनुसार नामित व्यक्ति को किया जावे।
2. यदि नोमिनेशन उपलब्ध न हो तो पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता को जीवनकालीन बकाया राशि का भुगतान किया जावे।
3. यदि पीपीओ में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई कुटुम्ब पेंशनर का नाम अधिकृत नहीं किया गया है और किसी को नामित भी नहीं किया गया है, तथा पेंशनर के आश्रित विधिक वारिस होने का प्रमाण पत्र या विधिक प्राधिकार प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो संबंधित वारिस के रूप में पहचान के किसी अन्य दस्तावेजों के संबंध में संबंधित कोषाधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जिससे वह संतुष्ट हो, दावेदारो के संबंध और वारिस होने के बारे में किसी दस्तावेजी सबूत के आधार पर अपने स्तर पर रू. 3.00 लाख तक की बकाया के भुगतान की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे
4. यदि बकाया राशि रू. 3.00 लाख से अधिक लेकिन रू. 7.50 लाख रूपये तक की सीमा में है तो प्रकरण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन विभाग के पूर्व अनुमोदन पश्चात एवं बकाया राशि रू. 7.50 लाख रूपये से अधिक हो तो ऐसे प्रकरण में निदेशालय पेंशन विभाग, के अनुमोदन के पश्चात एवं ऐसे प्रतिभूतियों सहित जैसा निर्देशित किया जायें व क्षतिपूर्ति बंध पत्र निष्पादित कर दिये जाने पर भुगतान करेंगे।
5. संदेह की दशा में ऐरियर की राशि का भुगतान करने हेतु सक्षम न्यायालय से विधिक उतराधिकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करके करेंगे।

अतः जीवन कालीन बकाया के भुगतान के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन)नियम, 1996 के नियम 145(1) में किये गये संशोधन की भावना के अनुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें ताकि मृतक पेंशनर के बकाया प्राप्त कर्ता को अनावश्यक कठिनाई व विलम्ब न हो।

Sd
(जमन लाल जांगिड)
निदेशक

क्रमांक : प.5 (215+216)निपेवि / नियम / 2015 / पार्ट–I(विविध) 1418-75 H दिनांकः– 13-05-2019

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. / संयुक्त / उपनिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर,
2. अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय), जयपुर।
3. उपनिदेशक / सहा.निदेशक / सहायक लेखाधिकारी पी.आर. अनुभाग 01 से 07

निदेशक